क्रम-संख्या–323

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007

कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2378/79–वि–1-07-1(क)35/2007

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2007

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2005 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन आवास संख्या-2, 3 और 4 क्रमशः मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद् और कृषि उत्पादन आयुक्त के उनके कार्यकाल तक उपयोग करने के लिए अनुमन्य दर पर शासकीय आवास अभिहित करने की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। किन्तु अभिहित आवास के अभिहित आवास आवंटन हेतु ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों के निरन्तर अनुरोध के कारण राज्य सम्पत्ति विभाग को ऐसे अनुरोधों को पूरा करने में व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2378/LXXIX-V-1-07-1 (ka) 35/2007
Dated Lucknow, November 20, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jyestha Adhikari Avas (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH SENIOR OFFICER'S TO RESIDENCES (REPEAL) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 36 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Senior Officer's Residences Act, 2005

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Senior Officers Residences (Repeal) Act, 2007.

2. The Uttar Pradesh Senior Officer's Residences Act, 2005 is hereby repealed. Repeal of U.P. Act no. 14 of 2005.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Senior Officer's Residences Act, 2005 has been enacted to provide for designating residences No. 2, 3 and 4 situated at Vikramaditya Marg, Lucknow under the control and management of the Estate Department as the official residences of Chief Secretary, the Chairman Board of Revenue and the Agriculture Production Commissioner respectively at admissible rent to use throughout the term of their office. But due to consistent request of such senior officers for allotment of residences in addition to the designated residence the Estate Department is facing practical problems to meet out such requests. It has, therefore, been decided to repeal the said Act.

The Uttar Pradesh Senior Officer's Residences (Repeal) Bill, 2007 is introduced accordingly

---

By Order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-704 राजपत्र (हि0)-(1720)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-361 सा0 विधायी-(1721)-2007-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।